नगर निगम, गोरखपुर

प्रस्ताव हेतु नियम एवं शर्ते

नगर निगम परिसर स्थित पोखरे के सौन्दर्यीकरण अन्तर्गत म्यूजिकल फॉउण्टेन स्थापित है, जिसका विस्तार म्यूजिकल फॉउण्टेन एवं फूड पार्क के रूप में किया जाना है। इसके समुचित उपयोग एवं रख–रखाव के लिए आवेदनकर्ता/प्रस्तावक को निम्नलिखित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा–

1. डाक्युमेन्ट निर्माण विभाग के कार्यालय से अथवा ऑनलाइन बेबसाइट http://nagarnigamgkp.org से दिनांक 16.08.2021 तक प्राप्त/डाउनलोड किया जा सकता है।
2. सभी आवेदनकार्ताओं से प्राप्त प्रस्ताव दिनांक 17-08-2021 को अपरान्ह 4.00 बजे नगर निगम, गोरखपुर के मुख्य अभियन्ता कार्यालय में खोली जायेगी। प्रस्ताव खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने प्रस्ताव अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। जिसकी सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दी जायेगी।
3. प्रस्ताव के साथ प्रत्येक आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्ताव प्रपत्र मूल्य रू0 1180/– का डिमाण्ड ड्राफ्ट तथा धरोहर धनराशि के रूप में रू0 50,000/– का एफ0डी0आर0/सीडीआर/बैंकर चेक जो लेखाधिकारी नगर निगम, गोरखपुर के नाम से बंधक/देय हो जमा करना अनिवार्य होगा अन्यथा प्रस्ताव अवैध मानी जायेगी।
4. प्रस्ताव के साथ आवेदनकर्ता का पैन, आधार संलग्न करना आवश्यक होगा।
5. उक्त कार्य करने का अनुभव रखने वाले प्रस्तावक/संस्था/फर्म को वरियता दी जायेगी। प्रस्ताव के साथ इस आशय का प्रमाण संलग्न करना होगा।
6. प्रस्ताव प्रपत्र एवं अन्य कोई भी जानकारी के लिए सम्बन्धित कार्यालय नगर निगम, गोरखपुर से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त की जा सकती है।
7. आवेदनकर्ता को प्रस्ताव हेतु नियम एवं शर्ते सम्बन्धित प्रपत्र को स्वहस्ताक्षरित कर संलग्न करना होगा।
8. म्यूजिकल फॉउण्टेन एण्ड फूड पार्क की किरायेदारी अनुबन्ध की तिथि से 06 माह बाद से प्रारम्भ होगी।
9. निम्न विवरण के अनुसार उक्त परिसर का न्यूनतम प्रति माह किराया तय किया गया :–

(क) अनुबन्ध से प्रथम 06 माह तक का कोई किराया निर्धारित नही है।

(ख) अनुबन्ध से 06 माह के उपरान्त दो वर्ष तक रू0 25,000/– प्रति माह किराया सफल प्रस्तावक द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को देय होगा।

(ग) अनुबन्ध से 02 वर्ष 06 माह अवधि बीत जाने पर अगले 02 वर्ष तक रू0 50,000/– प्रति माह किराया सफल प्रस्तावक द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को देय होगा।

(घ) अनुबन्ध से 04 वर्ष 06 माह की अवधि बीत जाने पर अगले दो वर्ष की अवधि बीत जाने के बाद अगले 02 वर्ष तक रू0 75,000/– प्रति माह किराया सफल प्रस्तावक द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को देय होगा।

(ड़) अनुबन्ध से 6 वर्ष 06 माह व्यतीत होने के उपरान्त 03 वर्ष 06 माह तक रू0 1,00,000/– प्रति माह किराया सफल प्रस्तावक द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को देना होगा।

उक्तानुसार तय प्रति माह किराया को प्रत्येक माह के शुरू में ही उस माह की 07 तारीख तक एडवांस में सफल प्रस्तावक द्वारा नगर निगम, गोरखपुर को प्रति माह अदा करना होगा।

10. दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव में कुल अधिकतम किराया देने वाले प्रस्तावक/संस्था/फर्म से नगर निगम, गोरखपुर द्वारा अनुबन्ध प्राख्यापित किया जायेगा।
11. उक्त किरायेदारी कुल 10 वर्ष के लिए तय की जायेगी।

नगर निगम, गोरखपुर

12. अनुबन्धित परिसर में विद्युत कनेक्शन आदि की समस्त जिम्मेदारी सफल प्रस्तावक की होगी। इस सम्बन्ध में किसी भी रकम की अदायगी अथवा लगवाने/स्वीकृत कराने की कोई जिम्मेदारी नगर निगम, गोरखपुर की नही होगी जो किराये में शामिल नहीं होगी।
13. प्रति माह किराये पर कोई सर्विस टैक्स या अन्य किसी तरह का कोई केन्द्रीय या प्रान्तीय टैक्स लगाया जायेगा या अदा करने की जिम्मेदारी आमद की जायेगी तो ऐसे सर्विस टैक्स की रकम सफल प्रस्तावक द्वारा वहन की जायेगी।
14. सफल प्रस्तवाक को अनुबन्धित परिसर में अपने स्वयं के खर्चे से निगम प्राधिकारी की सहमति से अस्थायी निर्माण के साथ फूड कोर्ट, किचन, ट्रायलेट, स्टोर, गार्ड रूम, जनरेटर रूम, कार्यालय आदि स्थापित करने का अधिकार होगा।
15. नगर आयुक्त की अनुमति प्राप्त करने के पश्चात सफल प्रस्तावक को अनुबन्धित परिसर में इवेन्ट, सांस्कृतिक, मांगलिक, सामाजिक समारोहों का आयोजन करने का अधिकार होगा तथा साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से तरह–तरह के यंत्रों को स्थापित करने का भी अधिकार होगा।
16. किसी भी महामारी के कारण लॉक डाउन आदि जैसे बन्दी होने की दशा में सफल प्रस्तावक द्वारा उस अवधि का किराया नही देना होगा।
17. सफल प्रस्तावक द्वारा परिसर को बराबर साफ–सुथरा व स्वच्छ हालत में रखा जायेगा तथा समय–समय पर आवश्यक रंगाई–पुताई, सफाई इत्यादि अपने स्वयं के खर्चे से करवाते रहेंगे एवं सन्तोषजनक व्यवस्था बनाये रखेंगे।
18. नगर निगम, गोरखपुर को अनुबन्धित समयावधि के बीच में ही किसी कारण वश परिसर को खाली करने की स्थिति आती है तो सफल प्रस्तावक 04 माह की लिखित नोटिस देकर खाली कर सकेगा।
19. 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने के उपरान्त उभय पक्ष उक्त शर्तों के अधीन नया अनुबन्ध कर सक्षम स्तर की स्वीकृति के उपरान्त समयावधि बढ़ायी जा सकेगी।
20. फॉउण्टेन के खुलने व बन्द होने का समय ग्रीष्म ऋतु में सायं 6.00 बजे एवं शीत ऋतु में सायं 5.00 बजे से रात्रि 9.00 बजे तक रहेगा। इसके अतिरिक्त नगर निगम, गोरखपुर के सक्षम अधिकारी के आदेश पर आवश्यकतानुसार फॉउण्टेन को कभी भी चलाया जा सकता है।
21. एकल प्रस्ताव/आवेदन प्राप्त होने पर स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
22. उपरोक्त शर्त के आधीन रहकर ही कार्य करना होगा। किसी भी शर्त में संशोधन का अधिकार नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर को होगा।
23. प्रस्ताव के साथ किसी भी विवाद की दशा में नगर आयुक्त, नगर निगम गोरखपुर का ही निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
24. उक्तानुसार विस्तृत नियम/शर्तों के साथ नगर निगम परिसर स्थित सौन्दर्यीकृत पोखरा/म्यूजिकल फॉउण्टेन को पार्किंग परिसर सहित फूड पार्क के रूप में विकसित/संचालित एवं रख–रखाव हेतु किरायेदारी पर लिये जाने का प्रस्ताव बन्द लिफाफे में नगर निगम निर्माण विभाग कार्यालय में दिनांक 17.08.2021 को सायं 03:00 बजे तक जमा कराने की कार्यवाही की जायेगी।

नगर निगम, गोरखपुर

दर निर्धारण हेतु प्रस्ताव

1. प्रस्तावक/संस्था/फर्म का नाम...

2. प्रस्तावक/संस्था/फर्म के पदाधिकारी का नाम एवं पद...

3. प्रस्तावक/संस्था/फर्म के पदाधिकारी के पिता का नाम ....

4. स्थाई पता..

5. अस्थायी पता..

6. मोबाइल/दूरभाष संख्या...

7. ई–मेल..

8. ऑफर मूल्य/किराया

विवरण	प्रति माह अनिवार्य न्यूनतम किराया (रू0 में)	प्रस्तावक द्वारा प्रतिमाह देय किराया (रू0 में)
अनुबन्ध दिनांक से प्रथम 06 माह तक	**शून्य**	
अनुबन्ध दिनांक से 06 माह के उपरान्त दो वर्ष तक	**25,000/–**	
अनुबन्ध दिनांक से 02 वर्ष 06 माह के बाद अगले 02 वर्ष तक	**50,000/–**	
अनुबन्ध दिनांक से 4 वर्ष 06 माह की अवधि बीत जाने के बाद अगले 02 वर्ष तक	**75,000/–**	
अनुबन्ध दिनांक से 6 वर्ष 06 माह व्यतीत होने के उपरान्त 03 वर्ष 06 माह तक	**1,00,000/–**	

नोट– उपर्युक्त क्र0सं0 1 से 5 के सम्बन्ध में प्रमाण–पत्र संलग्न करें। सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य है।

दिनांक–

प्रस्तावक के हस्ताक्षर...

कार्यालय प्रयोग हेतु

1. प्रस्तावक/संस्था/फर्म का नाम..
2. प्रस्तावक द्वारा देय कुल किराया
   - अंको में ....
   - शब्दों में..

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर